



# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ०ग०)

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2023 के आयोजन की सूचना  
दिनांक 24, 25, 26 एवं 27 जून 2024

विज्ञापन क्र. 11/2023/परीक्षा दिनांक 26.11.2023

क्रमांक 27 / 03/परीक्षा/2024

रायपुर, दिनांक 1 APR 2024

## राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2023

ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि - 02.04.2024 से 02.05.2024  
ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथि - 03.05.2024 से 07.05.2024  
मुख्य परीक्षा की तिथि - 24, 25, 26 एवं 27 जून 2024

- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्र. 11/2023/परीक्षा दिनांक 26.11.2023, शुद्धि पत्र क्रमांक 01/2024/परीक्षा/दिनांक 24.01.2024 द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2023 के माध्यम से 17 सेवाओं हेतु कुल 242 पद विज्ञापित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत दिनांक 11/02/2024 को राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 का आयोजन प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों में किया गया था।
- राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दिनांक 02.04.2024 (दोपहर 12:00 बजे) से 02.05.2024 (रात्रि 11:59 बजे) तक [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी। दिनांक 03.05.2024 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 07.05.2024 (रात्रि 11:59 बजे) तक आवेदक अपने मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकेंगे। इस हेतु पोर्टल शुल्क + जी.एस.टी. शुल्क देय होगा। आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में केवल एक बार ही निःशुल्क त्रुटि सुधार कर सकेंगे। दिनांक 07.05.2024 के बाद किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा। इस संदर्भ में कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा। राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 तथा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी, साक्षात्कार के पूर्व मूल दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान सही नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकेगा। (ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विस्तृत जानकारी "परिशिष्ट-एक" पर संलग्न है।)
- आवेदन करने हेतु आवेदक क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग अथवा UPI के माध्यम से शुल्क भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पूर्व आवेदक अद्यतन फोटो एवं हस्ताक्षर की एक-एक स्कैन प्रति निर्देशानुसार तैयार रखें।
- राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का आवेदन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2023 हेतु निम्नानुसार आवेदन, परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा:-

छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए	रुपये 400/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्यों के समस्त आवेदकों को पोर्टल शुल्क + जी.एस.टी. शुल्क भी देना होगा	

उपरोक्त आवेदन, परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है।

- मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम राज्य सेवा परीक्षा-2023 के विस्तृत विज्ञापन जो रोजगार और नियोजन के दिनांक 29.11.2023 के अंक में प्रकाशित किया गया है, सविस्तार उल्लेखित है। आवेदक उक्त विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके ही ऑनलाइन आवेदन करें।
- राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2023 की समय सारिणी पृथक से जारी की जा रही है।
- आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु जारी किए जाने वाले ऑनलाइन प्रवेश पत्र पर भी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2023 की समय-सारिणी उपलब्ध रहेगी।

  
सचिव

छ०ग० लोक सेवा आयोग,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

## परिशिष्ट-एक

## "ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी"

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1). अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाईल व ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर Dash Board पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को आवश्यक होने पर वर्तमान पते तथा स्नातक परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित होने की दशा में स्नातक परीक्षा परिणाम संबंधी समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (2). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र/SMS प्रेषित करने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
- (3). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैंफे इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से कर सकते हैं।
- (4). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:- आवेदक मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन हेतु सूचना जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउंड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल फोटो को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (5). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड को नहीं।
- (6). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।
- (7). आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।
- (8). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा भुगतान की रसीद उपलब्ध नहीं रहती है। अतः आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा निर्धारित भुगतान सफलता पूर्वक कर दिया गया है।
- (9). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।
- (10). आवेदक यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
- (11). ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :-
  - (i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क (यदि लागू हो) के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।
  - (ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार निःशुल्क किया जा सकता है।
  - (iii) परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

## नोट:-

- (i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संग्रहीत रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- (ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iii) किसी भी साइबर कैंफे अथवा अन्य संस्थान या व्यक्ति के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैंफे अथवा अन्य संस्थान या अन्य व्यक्ति अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

- (iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैंकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

**प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-**

- (1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र, परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- (2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) के माध्यम से ही उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थियों को SMS के माध्यम से सूचना प्रेषित करने हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा SMS प्राप्त न होने जैसे कारण के आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पर्याप्त पहले अपने ऑनलाइन आवेदन जमा करें तथा आयोग की अधिकारिक वेबसाइट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) का नियमित अवलोकन करते रहें। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की समस्त आवश्यक जानकारियां आयोग की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जायेगी। SMS अथवा अन्य किसी माध्यम से अभ्यर्थियों की सूचना प्रेषित करने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
- (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- (4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरडीजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज की मूलप्रति लाना आवश्यक होगा, इसके आभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।*
- (5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।